
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

VOLUME-VIII

JANUARY TO JUNE, 2018

ISSUE-I



High Court Campus, Nainital – 263001, Telefax : 05942 – 236552, e-mail : ukslsanainital@gmail.com, slsa-uk@nic.in, website : www.slsa.uk.gov.in



APPOINTMENT OF FULL TIME SECRETARIES IN DLSAS



In the month of April, 2018, two more full time Secretaries have been appointed in District Legal Services Authority, Champawat and Pithoragarh. Now, out of 13 DLSAs, in 11 DLSAs the full time Secretaries are working.

NATIONAL LOK ADALAT



As per directions of National Legal Services Authority and under the valuable guidance of Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, two National Lok Adalats were organized in the State of Uttarakhand from Tehsil Level to District Level in all the Courts and Quasi Judicial Authorities on 10.02.2018 and 22.04.2018 respectively. In these said National Lok Adalats, apart from the civil and criminal cases, the matters pertaining to labour disputes, revenue disputes, land acquisition act, family disputes, MACT, NI Act, water and electricity and all such matters which can be settled amicably were taken up.

In these National Lok Adalats, a total number of **19,039** cases were taken up and out of them **6022** cases were settled amicably. Amount to the tune of **Rs. 26,89,16,242/-** was also settled.







Registrars of the Hon'ble Court settling the disputes



Judicial Officers, Advocates and Litigants during NLA



National Lok Adalat at District Court, Chamoli

LEGAL LITERACY AND AWARENESS CAMPS ON NEWLY DESIGNED MODULE

In order to propagate legal awareness among the common people about their legal rights, Government welfare schemes available to them and the legal activities being run by the legal services institutions, the Uttarakhand State Legal Services Authority first identified common problems of people at large in cluster of villages/places in the districts and then organized 49 Mega Legal Literacy and Awareness Camps thereon in coordination with various Government Departments benefitting 56,603 people. The said camps were based on the NALSA's newly designed camp module focusing on upliftment and



Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA sensitizing the people

empowerment of tribal people, poverty alleviation and public awareness, empowerment of labourers of unorganized sector, women and child welfare & protection, right of education, rights of senior citizens as well as introduction and implementation of various public welfare schemes.



Member Secretary, UKSLSA during mega camp

Some of the camps were presided by the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA and various authorities from different department sensitized the common people about the welfare schemes and also they were also provided the benefits on the spot. In these mega camps, District Administration also issued the Aadhar cards, disability certificate, pension certificates to the Widows and Old age Persons. The medical check-up was done on the spot and free medical and subsidized agriculture equipments were also distributed to the needy

people. The applications received during the camps with regard to the grievances and welfare requests were also forwarded to the departments concerned for appropriate action.

TRAINING TO THE PANEL LAWYERS

To enhance the working skills and for ensuring accountability of panel lawyers towards the works assigned to them, the Uttarakhand State Legal Services Authority had conducted training programmes as per the second training module approved by NALSA in eight phases for the districts



Expert imparting training to Panel Lawyers at Dehradun



Training of Panel Lawyers at Chamoli

of Garhwal Region. In the said training programmes, total **279** panel lawyers engaged by seven DLSAs of Garhwal Region have been imparted training by the Member Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority and two Master Trainers (Advocates).

LEGAL AWARENESS CAMPAIGN THROUGH MOBILE VAN



To provide legal aid and advice to the common people at their doorsteps, legal awareness and sensitization camps are being organized through mobile van throughout the State for cluster of villages in different districts. During the months of January, 2018 to June, 2018, State Legal Services Authority's mobile van visited District-Dehradun, Bageshwar and Uttarkashi covering 55 places whereby 22,151 persons were benefited. During the mobile lok adalat, 47 cases were taken up, out of which 18 cases were settled and amount of Rs. 2,85,150/- was also settled.



People watching documentary film

In the said camps documentary films on the subjects of mediation, lok adalat and legal aid prepared by National Legal Services Authority and State Legal Services Authority were displayed. The queries raised by the villagers were also resolved on the spot. The applications were also received for legal aid which were either disposed of at the level of State Authority or were sent to the authorities concerned for appropriate and necessary action.



Distribution of legal informative booklets



Secretary, DLSA, Uttarkashi during mobile van visit

People showing interest during mobile van visit

LEGAL AWARENESS ON COMMEMORATIVE DAYS

Between the months of March, 2018 to June, 2018, International Forest Day, World Water Day, World Tuberculosis Day, Labour Day, Anti Tobacco Day, Environment Day, World Day against Child Labour, World Blood Donational Day and International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking were observed throughout the State. During these occasions, 686 special legal literacy and awareness camps were organized wherein 50,734 people got benefitted.



Celebration of International Women Day at Almora

Also, the people at large were made aware about the nine schemes launched by National Legal Services Authority by organizing legal awareness camps, programmes and seminars.



Observation of World Tuberculosis Day at Gopeshwar



Secretary, DLSA, Almora during World Child Labour Day



Celebration of Anti Tobacco Day at Pauri Garhwal



Plantative Drive during Environment Day



Chairman, DLSA, Pithoragarh during Blood Donation Day

ACTIVITIES AT DISTRICT LEVEL



Meeting on issues relating to juveniles justice act at Chamoli



Chairperson, DLSA, Chamoli during New Model Camp



Secretary, DLSA, Chamoli sensitizing Senior Citizens



Secretary, DLSA, Dehradun during programme on Doordarshan



Campaign for enhancing legal services to women prisoners and their children



Secretary, DLSA, Dehradun addressing the people in Mega Camp

ACTIVITIES AT DISTRICT LEVEL



Secretary, DLSA, Haridwar sensitizing the people about their legal rights



Visit of Government Children Home by Secretary, DLSA, Haridwar



Painting Competition on Women Rights at Haridwar



Secretary, Pauri Garhwal interacting with jail inmates



Secretary, DLSA, Pauri Garhwal during painting competition (1)



Mega Camp on New Module in District-Pauri

ACTIVITIES AT DISTRICT LEVEL



Secretary, DLSA, Pithoragarh during Multi-purpose camp



Sensitization camp on Illegal Trafficking at Jamnikhal, Tehri Garhwal



Rally on World No Tobacco Day at Pithoragarh



Awareness Camp on Drug Abuse in Distt. U.S. Nagar

प्रोपेश्वर । जिला विकित सेवा प्रशिवसाय के प्रति प्राप्त के स्वित प्राप्त के सिक्त कर प्रशिवसाय अपना के कार्य कर में के प्रशिवसाय अपना के कार्य कर में के प्रशिवसाय अपना के कार्य कर में के प्रशिवसाय अपना के स्वाप्त के अपना के स्वाप्त के स्वाप्

विम्मा विद्यालय को दिया गया है। उस मेंका विषय, कुंबर लिख राजा जादि मोजूद थे।

तंबाक निषेध दिवस पर हुई प्रतियोगिताएं

बच्चों को विधिक जानकारी विधिक साक्षरता होना बेहद जरूरी: शुक्ला शिविर आयोजित

संवा प्रधिकरम की ओर से देश के अंतिम गांव माणा में विधिक सामता शिविर का आयोजन किया गया: इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल में प्रामीणी को जन कल्कामकारी योजनाओं की

रिविस में विला जब प्रदीप पंत ने सन्दर कि प्रत्येक स्थवित के अधिकारों को रक्ष के लिए कानुनी प्रविधान किए गए हैं, लेकिन कार्नून की जनकारों न होने से कई कर व्यक्ति अपने अधिकारों से वीचत रह बाता है। इसके लिए विधिक

है। जिला विधिक सेवा प्रशिकाण के सर्वित रविश्वासमुख्या ने कहा कि न्याम के लिए कहें भी व्यक्ति एक सामान्य प्रार्थना पत्र देकर अपनी एक सामान्य प्राथमा पत्र दक्तर अपन समस्या को प्राधिकरण के समझ रख सकता है, किसका निसुत्क निपटारा किया जाता है। इस मौके पर मुस्तिक मजिस्ट्रेट मंजू देवी, जीकेटीमी के साईजी बॉडी सिंह, अधिनकता ज्ञानेंद्र खंतवाल, शिशुपाल बरायाल विला शासकीय अधिवनता प्रकाश भंडारी, प्रधान माणा पंकाल करवाल हरीश मीड़ और एकेश नेमें आहे. मीजद थे।

कैदियों को दिया स्वरोजगार का प्रशिक्षण

गोपेश्वर(ब्यूरो)। जिला कारागार में जिला उद्योग केंद्र की ओर से संचालित तीन पाह का कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर संपन्न हो गया है। शिविर के दौरान सच्टि संस्था की ओर से 30 केदियों को कारपेट व पेपर से बनने वाले लेंपसेंट, फाइल कवर, फोटोफ्रेम, कुड़ादान, लिफाफा आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया। कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर का समापन जिलाधिकारी आशीय जोशी व सिविल जज रवि प्रकाश ने किया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कैदियों के जीवन की सजनात्मक दिशा प्रदान करना है। डीएम ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र भी बांटे। मौके पर एडीएम मोहन सिंह बर्निया, सुष्टि संस्था के निदेशक विनोद प्रसाद सेमवाल, जेल अधीक्षक प्रमोद कमार पांडेय, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक डा. एमएस सजवाण आदि मौजूद थे।

बच्चों को दी कानून

की जानकारी

गैरसँण : जिला विधिक सेवा चमोली की ओर से गईका गैरसैंण में आयोजित शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित भट्ट ने बाल अधिकार व सामाजिक न्याय संबंधी जानकारी बच्चों से साझा की। छात्र-छात्राओं के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि कानून जहां सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यक्रम में विधिक साक्षरता क्लब का गठन किया गया। जिसमें केएस बिष्ट को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। डीएस नेगी. आरपी सिर्सवाल, एससी चौधरी व केएस कठेत को क्लब का सदस्य बनाया गया। बताया गया कि जनपद के कुल पांच विद्यालवीं में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिनमें विधिक जानकारी के साथ कैरियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन भी समय-समय पर किया जाएगा। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य जीएस शाह सहित विद्यालय के प्रवक्ता, शिक्षक व नौनिहाल मौजद थे। (संस्)

गोपेश्वर में 12 युवकों ने किया रक्तदान

गोपेश्वर । विश्व रज्ञदान दिवस पर जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में 32 युवाओं ने रक्तदान के लिए पंजीकरण करवाया और 12 युवकों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज (सीनियर डिविजन) रवि प्रकाश शुक्ला ने किया। उन्होंने बुवाओं को स्वतदान के प्रति आगे आने का आह्वान किया। सीएमओ डा. तुन्ति बहुगुणा ने कहा कि जन जागरूकता के माध्यम से ही रक्तदान शिविरों को सफल बनाया जा सकता है। इसके साथ ही दक्तदान करने वाली महिलाओं का आभार जवाया। विभा वर्गालयाल, अनीता नेगी व दीपा नेगी ने रक्तदान कर महिलाओं को भी रक्तदान के लिए आमे आने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर डा. यशोदा पाल, डा. गरेश जोहरी, भरत सिंह, महेश देवराडी, उदय सिंह सवत आदि मौज्द थे।

कमजोर वर्ग के लोगों को बताएं उनके अधिकार

पौड़ी। समाज के क्रमजोर वर्ग और वॉचत लोगी को उनके फानूनी अधिकारों के प्रति जामरूक किया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ओर से दोवानी न्यायालय परिसर सभागार में नए चयनित पराविधिक स्वयंसेवियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का सुभारम जिला जन जाएम धर्मशक्तु ने किया। जिला जन ने लोग को कानुन की जनकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सविव ज़बेंद्र सिंह ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) राज्य के लिए यह अनिवार करता है कि वह कानन के समक्ष समानता और एक ऐसी कानूनी व्यवस्था को सुनिश्चित करें, जो सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। उन्होंने बताया कि गड़्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों का उद्देश्य व्यक्तियों को निःशुल्क और सक्षम कानुनी सेवाएं प्रदान करना है। समान के कमनोर और वॉचर वर्गों के अधिकारों के बारे में कानुनी नागरकता के लिए कानूनी जागरकता शिवरों का आयोजन करना है। इसके अलावा नालसा की योजनाओं और नीत निर्देशों को सामीक और निवास्क कानुनी सेवा कार्यक्रम द्वारा लागू करना है। कार्यक्रम में सभी पराविधिक स्वयमेवियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार कराया गया संकल्प गीत, शीम गीत व डॉक्युमेट्टी फिल्में दिखाकर एव प्रेनेक्टर के माध्यम से प्रशिवत किया गया।

जोशीमुठ : राबाइंका जोशीमुट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से तंबाक निषेध दिवस पर विधिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला सिविल जज रवि प्रकाश शुक्ला ने कहा कि लोग कोर्ट-कबहरी को लेकर डरते हैं।जबिक हमारी न्याय व्यवस्था सबसे सरल है। कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, असहाय, महिला, भूतपूर्व सैनिक, वरिष्ठ नागरिक, एडस से पीडित व्यक्ति को निश्शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराती है। कानून व न्याय व्यवस्था की लोगों को सटीक जानकारी देना और जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि राबाइंका जोशीमढ में लीगल लिट्रेसी क्लब का गठन किया गया है। जिसमें कानून संबंधित किताबों व पैरालीगल स्वयं सेवकों की ओर से समय-समय पर विभिन्न कानुनी जानकारी दी जाएगी। शासकीय अधिवक्ता प्रकाश भंडारी ने कहा कि तंबाकृ हमारे सेहत के लिए खराब है। तंबाकू के सेवन से तमाम तरह की बीमारियों की आशंका बनी रहती है। बालिका शिक्षा, बेटी पढाओ बेटी बचाओ, भ्रूण हत्या, महिला अधिकार सहित अन्य विषयों पर काननी जानकारी दी गई। पेटिंग प्रतियोगिता में रश्मि पंवार व भाषण प्रतियोगिता में च्योति प्रथम रही।

वाद सुत्र, पुरोता : राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रविवार को नगर पंचायत के वार्डी में न्याय चला निर्धन के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को जहां टेली फिल्म के माध्यम से कानृती जानकारियां दो गई। माय हो निरशुएक कान्नी पुस्तके विद्यारत

हाईकोर्ट विधिक मोबाइल वैन के प्रभारी रविश कुमार वर्मा ने विधिक सहामता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय प्राधिकरण के समग्र विचाराधीन मेमलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहस्यता उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें विधिक सेवा निरमुल्क अधिवक्ता और मुकदमें संबंधी सभी खर्चों को प्राधिकरण उठाता है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति



न्याय चला निर्मन के प्रार कार्यक्रम के तहत लोगों को टेली फिरम के माध्यम से कानूनी जानकरियों देते जिला विविक सेड प्राविकरण के आवश्य

दुव्यंवहार, बेगार शिकार व्यक्तियों, संघी महिला एवं बच्चे, नानांसक रोगी, दिव्यान, बहु विनास जाति हिसा, बाढ़, पूर्कप या औद्योगिक विनास जैसा देवीय एवं जन जाति के सभी नगरिक सविधान आपदा से पीड़िलों को न्याब दिलाग के अनुच्छेद 23 में वर्णित मानव प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। विधिक

मोबाइल वैन के मान्यम से गुदिबाट गांव, केडियाल गांच, महर गांच, कमोला समेत नगर पंचायत के वार्डों में भी कानुनी जानकारियां दी। इस मौके पर सिविल जन अनुप सिंह, विवेक गोस्वामी, नवल तील नेगी आदि मीजूद रहे।

मजदूरों को दी कानूनी जानकारी

पिथारागढ़। जिला विविक सेवा प्राधिकरण के तत्वाबार में मजुदरों के लिए रामलीला मैदान सदर में जिला विधिक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मजदूरों को कानुनी जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सविव मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि मजदूरों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजदूरों की समस्याओं का उचित समाधान किया जाएगा। इस दौरान समाजसेती मदन सन्याल, छोटे दास, ध्रुवनाथ साहनी, मंगल शर्मा, एपी घौनी, हीरा सिंह, अजर माई, सुरंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।

कारागार में महिला कैदियों के अधिकारों को टीम गठित

🗷 गोपेश्वर/एसएनवी ।

राज्य विधिक सेवा प्राविकरण के निर्देशों के तहत जिला कारामार में बंद महिला केंद्रियों व उनके साथ रह रहे बच्चें के अधिकारों की रक्षा के लिए टीम का बड़न करते हुए विचार विभग्ने किया गया।

समिति में पैनल अधिववता शंकर सिंह मतराल को समन्यवक की जिम्मेदारी दी गई है, अवस्ति जीआई अलकापुरी के प्रधानाचार्य दलीय सिंह भंडारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंद्रप्रयाम की डा.चंडा रावद, बाल विकास के देव सिंह, जिला कारागार के कारापाल प्रमोद कुमार पांडेय, नकन्योति महिला कल्याण संस्थान के सचिव महानंद विष्ट, जन शिक्षा समिति के सचिव विनोद रावत और हिमाद के सचिव उमाशंकर विष्ट को सदस्य बनाया गया है। न्याय सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गठित समिति के सदस्यों के साथ हुई बैठक में प्राधिकरण के सचिव सिविल जब (सीनियर डिविजन) रविप्रकाश शुक्ता ने कहा कि जिल्ला कारानार में महिला केदियों को उनके अधिकारो गर्भवती महिला कैदियों के अधिकारों, मानसिक रोग व अवसाद से प्रस्त महिला केटी का उपचार सुनिश्चित कराने, महिला कैदियों के लिए शैक्षणिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने, महिला कैदियों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं मनोरंजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा महिला केदियों के बच्चों के पहचान पत्र बनाने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर कारागार में अभियान चलाए जाने की जरुरत है। साब ही कारागार में जागरुकता शिविर आयोजित कर कैंदियों को विधिक सेवाओं को जानकारी दी जानी जरूरी है। कहा कि गठित समिति के सदस्यों द्वारा कारागार में जाकर रिपोर्ट प्रेषित करनी होगी। बैठक में 21 मई को कारागार में भ्रमण करने का निर्णय लिया गया।

बाल अधिकारों की जानकारी दी

गोपेश्वर : सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि प्रकाश शुक्ला की अध्यक्षता में पुलिस लाईन गोपेशवर में किशोर न्याय अधिनियम एवं किशोरों से संबंधित अपराध व कानूनी प्रावधान को लेकर दो दिवसीय कार्यशाला का राभारंभ हुआ। जिसमें जनपद के समस्त पुलिस बाल कल्याण अधिकारी एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त बाल कल्याण अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति जागरूक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। (संस)

STATISTICAL INFORMATION

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF LOK ADALATS HELD IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM JANUARY, 2018 TO JUNE, 2018

S. No.	Name of DLSA's	No. of Lok Adalats Held	No. of Cases Taken up	No. of Cases Disposed off	Compensation/ Settlement Amount	Amount Realized As Fine (in Rs.)	No. of Persons Benefited in Lok Adalat
01	ALMORA	02	815	242	2,11,81,752	1,48,900	250
02	BAGESHWER	09	398	188	1,18,67,681	5,77,900	190
03	CHAMOLI	02	183	52	60,76,816	-	52
04	CHAMPAWAT	04	1074	305	24,09,410	1,76,400	305
05	DEHRADUN	08	17173	7444	4,29,25,980	34,16,010	7714
06	HARDWAR	02	4295	1232	1,48,15,512	11,42,337	1232
07	NAINITAL	03	2939	831	2,58,43,229	12,40,525	831
08	PAURIGARHWAL	02	308	258	46,63,430	5,58,700	258
09	PITHORAGARH	08	1848	411	57,92,902	1,75,850	415
10	RUDRAPARYAG	02	239	63	14,14,431	4,81,238	66
11	TEHRI GARHWAL	03	360	177	84,92,319	1,19,065	117
12	U.S. NAGAR	02	1226	432	5,93,47,996	1,44,500	432
13	UTTARKASHI	02	224	126	52,98,813	1,69,400	126
14	HCLSC, Ntl	. 01	272	18	93,56,733		18
	TOTAL:-	50	31354	11719	21,94,87,004	83,50,825	12006

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF CAMPS ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM JANUARY, 2018 TO JUNE, 2018

S. No.	Name of DLSA's	No. of Camps Organized	No. of Persons Benefited in Camps
01	ALMORA	165	18805
02	BAGESHWER	54	3477
03	CHAMOLI	643	30654
04	CHAMPAWAT	153	17170
05	DEHRADUN	637	28523
06	HARDWAR	435	19525
07	NAINITAL	1134	58185
08	PAURI GARHWAL	205	19646
09	PITHORAGARH	91	15099
10	RUDRAPARYAG	31	15457
11	TEHRIGARHWAL	156	9539
12	U.S. NAGAR	5033	162757
13	UTTARKASHI	3232	59040
	TOTAL:-	11969	457877

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF LEGAL AID AND ADVICE/COUNSELING PROVIDED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM JANUARY, 2018 TO JUNE. 2018

S. No.	Name of DŁSA's	No. of Persons Benefited through Legal Aid & Advice		
		Legal Aid	Legal Advice	
01	ALMORA	36	08	
02	BAGESHWER	07	_	
03	CHAMOLI	29	190	
04	CHAMPAWAT	11	_	
05	DEHRADUN	329	10	
06	HARDWAR	160	16	
07	NAINITAL	39	06	
08	PAURI GARHWAL	31	136	
09	PITHORAGARH	17	06	
10	RUDRAPARYAG	=	_	
11	TEHRI GARHWAL 🛸	34	21	
12	U.S. NAGAR	199		
13	UTTARKASHI	29	40	
14	H.C.L.S.C., N.T.L.	32	04	
15	U.K. S.L.S.A., N.T.L.	_	52	
	TOTAL:-	953	489	

CONTACT US

			GR GOSERO
S.NO.	ADDRESS	DESIGNATION	CONTACT NUMBERS
01	Uttarakhand State Legal Services Authority, High Court Compound, Nainital	Member Secretary Office on Special Duty	Office: 05942-236762; Telefax: 236552
02	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Secretary	Office:05942-232085 Fax: 05942-237721
03	District Legal Services Authority, Almora	Sh. G.K. Sharma, Chairman Sh. Shesh Chandra, Secretary	Office: 05962-231105 9456596757
04	District Legal Services Authority, Bageshwar	Sh. Heera Singh Bonal, Chairman Sh. Laxman Singh, Secretary	Office: 05963-221844 9412097865
05	District Legal Services Authority, Chamoli,	Sh. Pradeep Pant, Chairman Sh. Ravi Prakash, Secretary	Office: 01372-251529 9412079328
06	District Legal Services Authority, Champawat	Sh. Preem Singh Khimal, Chairman Mohd. Yaqoob, Secretary	Office: 05965-230915 9411327127
07	District Legal Services Authority, Dehradun	Sh. N.S. Dhanik, Chairman Sh. Abdul Qayyum, Secretary	Office: 0135-520873 8958444430
08	District Legal Services Authority, Hardwar	Sh. Rajendra Singh, Chairman Ms. Shivani Pasbola, Secretary	Office: 01334-239780 9412071710
09	District Legal Services Authority, Nainital	Sh. C.P. Bijalwan, Chairman Ms. Niharika Mittal, Secretary	Office: 05942-237159 9411102137
10	District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	Sh. G.S. Dharamsaktu, Chairman Sh. Jayender Singh, Secretary	Office: 01368-221815 9412079408
11	District Legal Services Authority, Pithoragarh	Sh. Rajendra Joshi, Chairman Sh. Manoj Kumar Dwevedi, Secretary	Office: 05964-228322 9411330501
12	District Legal Services Authority, Rudraprayag	Sh. Harish Kumar Goyal, Chairman Sh. Sanjay Singh, Secretary	Office: 01364-233796 9412079480
13	District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	Ms. Kumkum Rani, Chairman Sh. Nandan Singh, Secretary	Office: 01376-233424 9412077221
14	District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	Sh. Alok Kumar Verma, Chairman Sh. Arun Vohra, Secretary	Office: 05944-250682 9412088088
15	District Legal Services Authority, Uttarkashi	Sh. D. P. Gairola, Chairman Sh. Hemant Singh, Secretary	Office: 01374-226557 9412078165

